

न्यायालय समाहर्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
जमाबन्दी रद्दीकरण अपील वाद संख्या-113/2013
मंसूर आलम -बनाम- हिफजुर रहमान

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
18.01.2019	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ता एवं विद्वान् सरकारी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।</p> <p>प्रस्तुत जमाबन्दी रद्दीकरण अपीलवाद अपर समाहर्ता, दरभंगा के न्यायालय वाद सं०-$\frac{06/10-11}{32/11-12}$ में दिनांक 11.04.2013 को पारित आदेश के विरुद्ध दाखिल जमाबन्दी रद्दीकरण अपीलवाद आवेदन के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में वाद प्रतिग्रहित करते हुए विपक्षी को सूचना निर्गत की गयी तथा निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख प्राप्त की गयी।</p> <p>अपीलार्थी का कथन है कि वे जमाबन्दी सं०-175/96 एवं 176/07 जो कि विपक्षी के पिता के नाम से चल रहा है। जिसका खाता सं०-116 पुराना 319 नया, खेसरा नं०-184 पुराना 314 नया, रकबा 06 कड्डा 10 धुर, मौजा शोभन, थाना-सिमरी है, के रद्दीकरण हेतु माननीय अपर समाहर्ता, दरभंगा के न्यायालय में न्यायालय में वाद दाखिल किया गया। अपीलार्थी का पुनः कथन है कि उक्त भूमि कैडेस्ट्रल सर्वे में गैरमजरूआ आम अंकित है तथा रिविजनल सर्वे में उक्त भूमि अनावद सर्व साधारण के नाम से है, जिसका प्रकृति रास्ता है। इस प्रकार विपक्षी ने गलत ढंग से अनावद सर्व साधारण भूमि का जमाबन्दी नं०-175/96 एवं 176/07 कायम करवा लिया है। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि उक्त भूमि में उनका कोई स्वार्थ नहीं है, वे आम रास्ता अधिकार के लिए वाद दायर किये हैं, जो ग्रामीणों के उपयोग में चला आ रहा है। अतः अपर समाहर्ता महोदय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने की कृपा की जाय।</p> <p>विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता का संक्षेप में कथन है कि अपर समाहर्ता, दरभंगा द्वारा पारित आदेश अभिलेख आधारित है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उक्त के समर्थन में विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि विवाद में मौजा सोभन थाना-119/03 खाता-116 पुराना खेसरा 184 पुराने सर्वे में गैरमजरूआ आम दर्ज है। उक्त जमीन तौजी नं०-759 (सी0) 210(बी0) की जमीन थी, जिसके मालिक लक्ष्मेश्वर प्रसाद सिंह वो अख्तर हुसैन एवं मो० दरदुन के खास दखल कब्जा में चला आ रहा था, जिसे शेख मुजफ्फर हुसैन, शेख जलील वो मंगनी साह को बन्दोबस्ती कर दिया वो बन्दोबस्ती के सबूत में मालगुजारी रसीद निर्गत किया। मंगनी साह जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् मंगनी साह के नाम पर भूतपूर्व जमीन्दार ने रिटर्न दाखिल किया तथा मंगनी साह ने 14.10.61 ई० को केवाला सं०-15257 से</p>	

अब्दुल लतीफ को बेच दिया तथा दाखिल खारिज के पश्चात् विपक्षी के नाम पर जमाबन्दी सं०-175/96 एवं 176/07 कायम हुआ।

विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता का विशेष रूप से कथन है कि हाल सर्वे खतियान में गलती से खाताधारी बिहार सरकार अंकित हो गया, जिसके सुधार हेतु एक स्वत्व वाद सं०-238/02 अन्तर्गत दफा 106 वी०टी० एक्ट दायर किया गया, जिसमें पारित आदेश दिनांक 04.07.12 से सुधार करते हुए विपक्षी के नाम संशाधित किया गया है। वर्तमान में भी प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी का वास्तविक दखल कब्जा है एवं संबंधित भूमि का लगान बिहार सरकार को दी जा रही है।

विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अपीलकर्ता के पिता ने वर्ष 1960 में विवादित जमीन के बन्दोबस्ती के लिए आवेदन दिया था, जिसमें बन्दोबस्त विभाग ने अपने आदेश में यह पाया कि:- *held Local enquiry personally, the land is survey recorded as is a RASTA some portion of RASTA which was fit for settlement had already been settled by the Ex-landlord Sri Laxmeshwar PD. Singh, Akhtar Navi and Mostt Darudan in favour of Sri Muzaffar Hussain SK. Md. Jalil and Mangni Sah they produce rent receipt granted by Ex-landlord before the date of vesting the state is also relying rent from him then after vesting of Jambindari and Jamabandi No.- 1796 the area K.C. Sri T.C. Verma had also realised rent vide RRno. 500909530819 531 859 land in question is not on the possession of the applicant Sri Abuzafar and Hassan Daud hence the settlement proposal may be refused on the ground mentioned above.*

इस तरह से अपीलकर्ता जिनके पिता के नाम पर पूर्व से बन्दोबस्त नहीं हुआ था द्वेष भावना से ग्रसित होकर विपक्षी के जमाबन्दी के रद्दीकरण का आवेदन दिया वो इस तरह से विपक्षी को बेवजह परेशान कर रहे हैं। स्थापित विधि के अनुरूप 50 वर्षों से अधिक अवधि के कायम जमाबन्दी को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता कि प्रश्नगत गैर मजरूआ भूमि को बन्दोबस्त करने का अधिकार भूतपूर्व जमीन्दार को नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अनेकों वाद में ऐसा निर्णित है कि भूधारी जमीन्दार को गैर मजरूआ आम भूमि को बन्दोबस्त करने का अधिकार है। सुलभ द्रष्टव्य हेतु माननीय उच्च न्यायालय, सी०डब्लू०जे०सी० सं०-844/2015 में पारित आदेश दिनांक 03.08.2015 से यह स्पष्ट है कि गैर मजरूआ आम भूमि की भी बन्दोबस्ती किये जाने का अधिकार भूतपूर्व जमीन्दार में सन्निहित था। अतः उक्त नियामक तथ्य के आलोक में अपीलवाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

विद्वान् सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि अभिलेख संधारित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा बन्दोबस्ती की गयी है। तदनु रूप दाखिल रिटर्न के आधार पर बन्दोबस्तीदार के नाम से जमाबन्दी कायम है। विपक्षी को उक्त भूमि निबंधित केवाला दिनांक


14.10.61 से प्राप्त है। विपक्षी के नाम से स्थापित विधि के अनुरूप जमाबन्दी सं०-175/96 एवं 176/07 कायम की गयी, जो अंचल अधिकारी, बहादुरपुर के पत्रांक 499 दिनांक 13.03.18 से सम्पुष्टित है। अतः विधि सम्मत् आदेश पारित किया जा सकता है।


उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि विहित प्रक्रिया के अनुरूप बन्दोबस्तीदार के द्वारा निष्पादित निबंधित केवाला दिनांक 14.10.1961 के आलोक में प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी सं०-175/96 एवं 176/7 कायम की गयी है। घटनोत्तर क्रम में हाल सर्वे खतियान में भी सक्षम पदाधिकारी द्वारा संशोधन करते हुए विपक्षी के नाम की प्रविष्टि की गयी है। उपरोक्त विधिक तथ्य के आलोक में अपर समाहर्ता, दरभंगा द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.04.2013 में हस्तक्षेप करना यथोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलवाद अस्वीकृत।

आदेश की प्रति तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख अपर समाहर्ता, दरभंगा को भेजें।

उपरोक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।


समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

